जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-03.09.2025**

एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिम्भालका से बाइक चोरी की घटना में वांछित व 10,000-10,000/- रुपये के 02 ईनामी अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस व मोटर साइकिल बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.06.2025 को शोभित पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली जनपद शामली की बाइक पल्सर अपने घर के बाहर से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनाँक 02.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिम्भालका से बाइक चोरी की घटना में वांछित व 10,000-10,000/- रुपये के इनामी अभियुक्तगण अफसर पुत्र आलम निवासी ग्राम जन्देही थाना कैराना जनपद शामली व मेहताब पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामली को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पुल के नीचे बलवा रोड के पास चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में दोनों अभियुक्तगण को अवैध 01 पिस्तौल देशी मय मैगजीन, 04 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 32 बोर व 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल अभियुक्तगण अफसर व मेहताब उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अफसर पुत्र आलम निवासी ग्राम जन्देहडी थाना कैराना जनपद शामली।

2.मेहताब पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम मंडावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 पिस्तौल देशी मय मैगजीन, 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 32 बोर। (अभियुक्त अफसर से)

2.अवैध 01 तमंचा 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।(अभियुक्त मेहताब से)

3.एक मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अफसर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 250/2023 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2.मु0अ0सं0 260/2023 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 आर्म एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3.मु0अ0सं0 264/20233/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

4.मु0अ0सं0 135/2024 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

5.मु0अ0सं0 260/2025 धारा 109/191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जपपद सहारनपुर।

6.मु0अ0सं0 458/2024 धारा 109(1)/115(2)/190/191(2)/191(3)/3(5)/333/351(2)/352/74 बीएनएस व 3/25/27 आर्म एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मेहताब उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 493/2019 धारा 60/63/72 आबकारी एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 513/2024 धारा 115(2)/191(2)/191(3)/351(2)/352/74/76 बीएनएस व 190 बीएनएसएस थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 23/2025 धारा 109(1)/115(2)/190/191(2)/191(3)/351(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह प्रभारी एसओजी जनपद शामली।

4.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

5.है0का0 हरवेन्द्र एसओजी टीम जनपद शामली।

6.है0का0 नबाब थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7.है0का0 अशोक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
8.का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
9.का0 शादाब अली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
9.का0 मनीष एसओजी टीम जनपद शामली।
10.का0 अनुज एसओजी टीम जनपद शामली।
11.का0 दीपक एसओजी टीम जनपद शामली।
12.का0 रोहित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना/कैराना/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 09 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कैराना/कांधला पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 09 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1.सोनू पुत्र रफी निवासी मौहल्ला साजिद नगर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.आदिल पुत्र रफी निवासी मौहल्ला साजिद नगर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.अर्जुन पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम रज्जाकनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.लाल सिंह पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।
5.सुखपाल पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली।
6.रियासत पुत्र लियाकत निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
7.समीम उर्फ बाबा पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला गांधी नगर कस्बा एलम थाना कांधला जनपद शामली।
8.शौकिन पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर बिजली घर रोड काधला थाना कांधला जनपद शामली।
9.कासिम पुत्र मेहरद्दीन निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर बिजली घर रोड काधला थाना कांधला जनपद शामली।

कोतवाली झिंझाना

कोतवाली झिंझाना

थाना
कोतवाली कैराना
जनपद-शामली

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शस्त्र अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2015 में अभियुक्त अनिल पुत्र भवर सिंह निवासी आल्दी थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 358/2015 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा व अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।